



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082024-256070
CG-DL-E-05082024-256070

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2981]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 5, 2024/ श्रावण 14, 1946

No. 2981]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 5, 2024/ SHRAVANA 14, 1946

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(निर्माण प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2024

का.आ. 3125(अ).—केंद्रीय सरकार दिनांक 1 जुलाई, 2019 की अधिसूचना सं. 25011/7/85-डबल्यू 2 के अनुसरण में, राजघाट समाधि समिति अधिनियम, 1951 (1951 का 41) की धारा 4 की उपधारा (i), (ii) और (iii) के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मनोहर लाल, आवासन और शहरी कार्य मंत्री को राजघाट समाधि समिति के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 25011/7/85-डबल्यू 2]

डॉ सुरेंद्रकुमार बागडे, अतिरिक्त सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS**(Works Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th August, 2024

S.O. 3125(E).—In continuation of the Notification No. 25011/7/85-W2 dated 1st July, 2019, the Central Government appoints Shri Manohar Lal, Minister of Housing & Urban Affairs as Chairman of the Rajghat Samadhi Committee in exercise of powers conferred by Section 3 read with sub-section (i), (ii) and (iii) of Section 4 of the Rajghat Samadhi Committee Act, 1951 (41 of 1951).

[F. No. 25011/7/85-W2]

Dr. SURENDRAKUMAR BAGDE, Addl. Secy.